विचार बिन्दु

यदि कोई दुर्बल मानव तुम्हारा अपमान करे तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना ही वीरों का काम है। परंतु यदि अपमान करने वाला बलवान हो तो उसको अवश्य दण्ड दो। –गुरु गोविन्दसिंह

देश हित में होगा, यदि न्यायपालिका, विधायिका व कार्यपालिका सभी अपनी-अपनी हद में रहें

यह प्रश्न बार-बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आता रह है कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय में कौन बड़ा है, कौन अधिक शक्तिशाली है? क्या संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के अस्तित्व को समाप्त कर सकती है? अथवा क्या सर्वोच्च न्यायालय अपनी असीमित शक्ति के सहारे संसद को किसी विशिष्ट प्रकार के विषय पर कानून पारित करने से रोक सकती है? क्या संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावित कर सकती है? ऐसे कई प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाये जाते रहे हैं। कोर्ट में इनकी सुनवाई है और सफलतापूर्वक इन पर निर्णय भी दिये गये हैं, किन्तु प्रश्न तो अनेक हैं, अन्त दिखाई नहीं देता। वहीं लोग वोट की राजनीति, जातिवाद, असमानता, आरक्षण आदि के अभिशापों में डूबते जा रहे हैं।

यह निर्विवाद है कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र इकाई हैं और मानते भी हैं कि उन्हें एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यह स्वतंत्रता उन्हें उस समय प्राप्त होती है, जब वे संविधान के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। संसद को नियमों के अनुसार कानून बनाने का अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 145 में नियम बनाने के अधिकार दिये हैं। किन्तु वह कानून यदि भेदभाव का निर्माण करता है, निरंकुश है, अथवा संवैधानिक अधिकारों पर कुप्रभाव डालता है, अथवा संविधान की तीनों लिस्टों में दिये गये विषयों पर नहीं है तो वह कानून अवैध होगा। कार्यपालिका का काम है, कानूनों की पालना करना और राज्य की व्यवस्था को बनाये रखना। न्यायपालिका का अधिकार है कि वह कानून की सही व्याख्या करे और यदि संसद का कानून संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसे असंवैधानिक घोषित करे। फिर प्रश्न उठता है यदि सर्वोच्च न्यायालय संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करता है तो क्या संसद कानून बनाकर उस निर्णय को निरस्त कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एस.टी. सदीक बनाम स्टेट ऑफ केरल व अन्य के दिनांक 04.02.2015 के निर्णय में यह स्पष्ट कहा है, कि लेजिसलेटिव अधिकार से, निर्णय को निरस्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो यह मानना होगा कि संसद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध अपेलेट कोर्ट है, जो सम्भव नहीं है।

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि राज्य के तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका संविधान के अनुसार अपने अपने कार्यों में स्वतंत्रता दी गई है। यदि इनका संतुलन बिगड़ा तो संविधान की गरिमा पर विपरीत असर होगा। न्यायाधीशों का कार्य कठिन है। न्यायाधीश विनम्र होने चाहिये, शालीनता उनका धर्म। वे बादशाहों की तरह आचरण नहीं कर सकते। न्यायाधीश कानून नहीं बना सकते। न्यायालय का यह कार्य नहीं है कि बच्चों का दाखिला नर्सरी क्लास में किस प्रकार किया जावे। उनका कार्य है यदि इस बाबत कोई कानून है तो वे उसकी सही व्याख्या करें।

यशस्वी न्यायमूर्ति भगवती, जिन्हें लोकहित याचिका का जन्म दाता माना जाता है यह स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 141/142 में दिये गये अधिकार तथा जुडिशियल रिव्यू के अधिकार अपरिमित है। समय की पुकार है कि न्याय की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखा जावे। राज्य के तीनों अंगों में संतुलन बनोय रखना भारत के लोकतंत्र की प्रगति व विकास के हेतु आवश्यक है।

भारतीय संविधान में न्यायपालिका व विधायिका के अधिकारों का विशुद्ध विवेचन है। अनुच्छेद 212 में यह अभिव्यक्त किया गया है कि राज्य की विधायिका की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित, अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जावेगा। अर्थात् कार्यवाही में प्रक्रिया का दोष है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती; किन्तु यदि कार्य ही अधिकार शून्य है तो चुनौती दी जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है जो संविधान के Basic Structure का भाग है। यह भी ध्यान रहे कि अनुच्छेद 194 में विधायिका के विशेष अधिकार है और उन्हें अपने कार्य में उन्मुक्ति प्राप्त है।

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि राज्य के तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका संविधान के अनुसार अपने अपने कार्यों में स्वतंत्रता दी गई है। यदि इनका संतुलन बिगड़ा तो संविधान की गरिमा पर विपरीत असर होगा। न्यायाधीशों का कार्य कठिन है।

भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है:-

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत:।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।

कानून उसी समय बनता है जब समाज का कोई अंग ऐसा आचरण कर रहा होता है जो अनुचित है, जिस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। त्रेता युग में सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। यह युग न्याय की देवी की अग्नि परीक्षा का है। जज अग्नि परीक्षा से क्यों डरें, डर तो पथ भ्रष्ट व अन्यायी व्यक्ति के लिये है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक कुशल एडवोकेट व राजनीति के चतुर खिलाडी रहे हैं। राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के एक कार्यक्रम को कुछ दिनों पूर्व सम्बोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तामिलनाडु बनाम राज्यपाल के केस में राष्ट्रपति को निर्देश दिया है कि वे तीन माह की अवधि में जो विधायक उनके पास असेन्ट के हेतु लम्बित हैं, उन पर फैसला दें। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि इस बाबत संवेदनशील हैं, क्योंकि हमने इस दिन की कल्पना नहीं की थी कि राष्ट्रपति को तयशुदा समय में फैसला देने को कहा जावेगा। उनका कहना था कि संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतंत्र के खिलाफ परमाणु मिसाल बन गया है। उनका मानना कि न्यायाधीश 'सुपर संसद' की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम तो संविधान की व्याख्या का है। सुप्रीम कोर्ट भी व्याख्या उसकी समय करेगी जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ सुनवाई करे। ऐसा प्रतीत होता है, धनखड और भारतीय जनता पार्टी तामिलनाडु के राज्यपाल पर विधेयकों पर असेन्ट देने की अवधि निश्चित करने के कारण खिन्न हैं। सम्भवत: वे इस घटना को न्यायपालिका का विधायिका पर आक्रमण मान रहे हैं। उनका मानना है कि न्यायपालिका विधायिका को निर्देशन नहीं दे सकती।

संविधान के अनुच्छेद 196 में विधायी प्रक्रिया क्या होगी, इसका उल्लेख है। बिल उसी समय अधिनियम होगा, जब उसे राज्यपाल की असेन्ट (अनुमति) मिलेगी जिसकी पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 200 में दी गई है। इसका अर्थ है असेन्ट के प्रभाव में वह अभी विधेयक नहीं बना है। असेन्ट के बाद उसका गजट में प्रकाशन होगा तब वह विधेयक लागू होगा। अनुच्छेद 212 में व्यवस्था है कि राज्य के विधान मण्डल की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जावेगा। अनुच्छेद 212(2) के तहत राज्यपाल के कार्य में किसी न्यायालय का दखल वर्जित है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का दखल, उपरोक्त परिस्थितियों में संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि 3 माह में राज्यपाल असेन्ट देवें, संवैधानिक विधायी प्रक्रिया का भाग है, अत: अनुच्छेद 200 के अनुसार वह अवैध है। अभी तक बिल विधेयक नहीं बना है।

प्रत्येक अधिनियम में एक प्रावधान होता है कि वह कब से लागू होगा। साधारणत: विधेयक, अधिनियम गजट में प्रकाशित होने पर लागू होता है अथवा उस तारीख से लागू होता है जो विधेयक (बिल) में निर्धारित की गई है। कई केसेज ऐसे हुये हैं जहां विधेयक को राज्य ने गजट में प्रकाशित कर अधिनियम नहीं बनाया। लोग कोर्ट में गये हैं, इस प्रार्थना के साथ की कोर्ट उसे लागू करने की आज्ञा दे और हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट के यह निर्णय हैं कि चूंकि यह विधायिका की प्रक्रिया है अत: कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

'हद में रहो' यह कहना स्वयं पर लागू होता है इसे चेतावनी के रूप में दूसरों को हद में रहने की नसीहत देना हद की सीमा का अतिरेक है।

लेखक का प्रस्ताव है सब अपनी अपनी हद में रहें। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को Complete Justice करने को अधिकृत करता है, किन्तु यहां पर यह स्थिति नहीं है।

प्रश्न यह है कि क्या राज्य के गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाध्यकारी है? ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार अनुच्छेद 142 के तहत Ordinance लाकर राज्यपाल का बचाव कर सकती है।

कौन बड़ा? संसद, सुप्रीम कोर्ट अथवा संविधान या स्वयं सांसद, ऐसा प्रश्न है जिसका एक उत्तर मिलना संभव नहीं है। इसका उत्तर राष्ट्रहित को देखकर किया जाना है। उपराष्ट्रपति धनखड ने पुन: दिनांक 23.04.2025 को कहा कि संसद सर्वोच्च है और सांसद 'अल्टीमेट मास्टर्स'। दूसरी ओर कपिल सिब्बल ने कहा न संसद सर्वोच्च है और न कार्यपालिका। कोई सर्वोच्च है तो वह संविधान है। सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान की व्याख्या का है। सिब्बल ने कहा कि देश ने अब तक कानून के अर्थ को इसी प्रकार माना है। हमें उसी विचार धारा को मानना होगा जो संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल हो व राष्ट्रहित द्वारा संचालित एवम् निर्देशित हो। विषय को समझने के लिये जैन दर्शन 'अनेकान्त' का प्रयोग हितकारी है।

सबको सन्मति दे भगवान!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

ब्यूरोक्रैसी के लिए श्रेयस्कर है पब्लिक एजेण्डा पर चलना

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

21 अप्रैल को लोकसेवा दिवस पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में राजस्थान ब्यूरोक्रेसी के मुखिया सुधांश पंत का संदेश इसलिए समसामयिक और अर्थपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने पी-2 व जी-2 की चर्चा करने के साथ ही लोकसेवकों को महत्वपूर्ण संदेश दिया है वह पीए से पीए की और रुपांतरण का संदेश है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसेवक अपने आपको प्रीविलेज ग्रुप का मानता है और समाज में भी उसकी हैसियत प्रीविलेज में ही होती है ऐसे में लोकसेवक का जीवन स्तर और सामाजिक स्तर समाज के अन्य वर्ग के लोगों से अलग हो जाता है। ऐसे में लोकसेवक के प्रति आमजन और सरकार के संचालकों की अपेक्षाएं भी काफी बढ़ जाती है। पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि लोकसेवक के प्रति समाज में जो अलग तरह का नजरिया बना हुआ है जिसमें काम को अनावश्यक रुप से डिले करने सहित अन्य नकारात्मक बिन्दु शामिल होते है। वह लोकसेवक को लेकर समाज में एक अलग ही तरह की धारणा बना देती है। ऐसे में राजस्थान ब्यूरोक्रेसी मुखिया मुख्यसचिव सुधांश पंत ने लोकसेवकों को जो संदेश पीए के स्थान पर पीए यानी कि परसनल एजेंडा के स्थान पब्लिक एजेंडा पर काम करने का संदेश दिया है वह अपने आपमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी को सही दिशा देने के साथ ही ब्यूरोक्रेसी की भूमिका को स्पष्ट करता है। हांलाकि ब्यूरोक्रेसी के अधिकांश सदस्य अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति गंभीर होने के साथ ही अपने कार्य को प्रभावी तरीके से अंजाम देते हुए सरकार के जनहितकारी एजेंडा को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी की खास भूमिका होती है। सशक्त ब्यूरोक्रेटिक ढाँचे के बिना सरकारी, सार्वजनिक या निजी संस्था के सफलतापूर्वक संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सुधांश पंतं ने पी-2 यानी कि प्रो पिपुल-प्रो एक्टिव होने की आवश्यकता प्रतिपादित करने के साथ ही जी-2 यानी कि गुड गवर्नेंस का संदेश दिया और इसी को आगे बढ़ाते हुए ब्यूरोक्रेसी को पीए से पीए यानी कि परसनल एजेंडा के स्थान पर पब्लिक एंजेडा को तरजीह देने पर जोर दिया। सही मायने में देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी में इसी सोच की आवश्यकता है जिसे सुधांश पंत ने समझा है और समूची ब्यूरोक्रेसी तक इस संदेश का पहुंचाने का प्रयास किया है।

भारतीय चिंतकों से लेकर देश-दुनिया के जाने माने चिंतकों ने ब्यूरोक्रेसी के महत्व को स्वीकारने के साथ ही ब्यूरोक्रेसी की भूमिका भी अपने अपने तरीके से तय की है। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में ब्यूरोक्रेसी यानीकि नौकरशाही के बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन आज हम जिस रूप में ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं उसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। प्राचीन मिस्त्र और रोम में भी नौकरशाही की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन प्राचीन नौकरशाही प्रमुखत: राजशाही पर आधारित थी, शासक के निजी विचार व भावनाओं पर शासन चलता था। किंतु आज की नौकरशाही कानून कायदों से चलने वाली व्यवस्था है।

फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विन्सेट डी गोर्नी ने 1745 में ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया। नौकरशाही या 'ब्यूरोक्रेसी' लेटिन भाषा के 'ब्यूरो' जिसका अर्थ है 'मेज' और ग्रीक भाषा के 'क्रेसी' जिसका अर्थ है 'शासन' से मिलकर बना है। इस प्रकार 'ब्यूरोक्रेसी' का तात्पर्य 'मेज का शासन' से है। ब्यूरोक्रेसी को कर्मचारी तंत्र, अधिकारी तंत्र के साथ ही नकारात्मक अर्थों में लाल फीताशाही के रुप में भी जाना जाता रहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार नौकरशाही का अर्थ समाज में सरकार के व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासकों से है।

हैरोल्ड जोसेफ लॉस्की ने बताया कि एक सरकारी व्यवस्था में अधिकारियों का शासन ही नौकरशाही है। हर्मन फाईनर ने बताया कि, प्रशासकों या अधिकारियों द्वारा किया गया शासन ही नौकरशाही है। वहीं मार्शल ई. डिमॉक का कहना है कि नौकरशाही एक वृहत रूप में केवल संस्थावाद का नाम है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने नौकरशाही के नकारात्मक पहलुओं के बजाय सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा बल दिया और नौकरशाही के आदर्श मॉडल का प्रतिपादन किया। वेबर ने नौकरशाही के बारे में बताया कि नियुक्त किये गए अधिकारियों का समूह नौकरशाही कहलाता है अर्थात् प्रत्येक वह व्यक्ति जो नियुक्त है, नौकरशाह है। साल 1920 में वेबर की किताब 'विर्टशॉफ्ट एंड गेसलशॉफ्ट' प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने सत्ता के तीन रूप परंपरावादी सत्ता, चमत्कारिक सत्ता एवं कानूनी सत्ता बताया।

शासन में ब्यूरोक्रेसी की भूमिका लगभग तय होती है, जहां चुनी हुई सरकार कानून कायदे, योजनाओं, कार्यक्रमों या यों कहें कि अपना एजेंडा प्रस्तुत करते हैं वहीं धरातल पर अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी व अहम भूमिका ब्यूरोक्रेसी की होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार की इच्छा शक्ति और वीजन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है पर इसे भले ही अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाए पर सचाई यही है कि आज विकास की जो तस्वीर देखने को मिल रही है इसे धरातल पर लाने में ब्यूरोक्रेसी की प्रमुख भूमिका रही है। ऐसे में सुधांश पंत का पीए से पीए अर्थात् परसनल एजेंडा से पब्लिक एजेंडा को महत्व देने का संदेश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

ब्यूरोक्रेसी सरकार के एजेंडा को धरातल पर उतारकर आमजन तक उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है। अब परसनल एजेंडा के चलते क्रियान्वयन स्तर पर कमी रह जाती है और इसी को भलीभांति समझते हुए राजस्थान के ब्यूरोक्रेसी के मुखिया सुधांष पंत ने कार्यक्रम के माध्यम से समूची ब्यूरोक्रेसी को एक सकारात्मक संदेश देने का सफल प्रयास किया है। केवल एजेंडा की प्राथमिकता बदलने मात्र से काफी कुछ सुधार हो सकता है और इसका सीधा-सीधा लाभ आमजन को मिलने के साथ ही सरकार को भी मिलता है इसके साथ ही सरकार की सकारात्मक छवि बनती है।

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
(वरिष्ठ लेखक)

झुंझुनूं के शिवपुरा गांव के लोग दशकों से बूंद-बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं

खेती की तो ये लोग सोचते ही नहीं, पशुओं को भी रखना छोड़ दिया है, क्योंकि खुद के पीने के पानी लिए भी दूसरे राज्य की ओर देखने पड़ता है

बुहाना, (निसं)। पानी बचाने के लिए हर कोई संदेश देता है, लेकिन झुंझुनूं का हरियाणा बॉर्डर का शिवपुरा गांव, जिसके ग्राउंड में वॉटर, यानि कि पानी की बूंद तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह पानी आज ही खत्म हो गया है, बल्कि दशकों से यहां के लोग बूंद-बूंद के लिए भी दूसरे राज्य के मोहताज है। खेती की तो ये लोग सोचते ही नहीं, पशुओं को भी रखना छोड़ दिया है, क्योंकि खुद के पानी पीने के लिए भी दूसरे राज्य की ओर देखने पड़ता है। ऐसे में वे कहां से तो खेती करें और कहां से पशु पालें।

झुंझुनूं जिले के शिवपुरा गांव में जहां दशकों से जमीन में पानी नहीं है। ग्रामीण बूंद-बूंद पानी को लेकर भी तरस रहे हैं। सरकारी सिस्टम भी यहां पानी पहुंचाने में बेबस है। शिवपुरा गांव के लोगों ने खेती की आस छोड़ दी है। पशु भी पाले, ऐसी हिम्मत अब इनमें बची नहीं है। कारण है पानी। ग्रामीणों की मानें तो शिवपुरा ही नहीं, बल्कि हरियाणा बॉर्डर के लगभग गांवों में जमीन का पानी खत्म हो चुका है। 1000 से लेकर 1200 फीट तक भी जमीन खोदने के बाद भी बूंद तक पानी की नहीं निकलती। सरकारी पानी व्यवस्था यहां आकर फेल हो जाती है। यही कारण है कि अब हरियाणा के लोग राजस्थान की इस लाचारी का जमकर फायदा उठा रहे हैं। पड़ौस के हरियाणा में पानी का स्तर काफी अच्छा है। नहरी पानी भी मिलता है। ऐसे में अब हरियाणा के लोगों ने अपनी पर्सनल पाइप लाइन इन गांवों तक पहुंचा दी है। दो से 10 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन शिवपुरा जैसे गांवों में पहुंचाई गई है। घर-घर पर्सनल लाइन से कनेक्शन दिए गए हैं। महीने के 300 से 400 रूपए वसूलने के बाद एक घंटे पानी देने का वादा किया जाता है, लेकिन असल में पानी आता है कि 15 से 20 मिनट। कभी प्रेशर के कारण पानी नहीं आता तो कभी पाइप लाइन फट जाने के कारण पानी नहीं पहुंचता। उस समय पीने के लिए भी ग्रामीण पानी को तरस जाते है।

झुंझुनूं जिले के शिवपुरा गांव में हरियाणा के लोग पाइप लाइन डालकर पानी की सप्लाई करते हैं।

दशकों से झुंझुनूं के शिवपुरा गांव में लोगों को पेयजल को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

- **ग्रामीणों की मानें तो शिवपुरा ही नहीं, बल्कि हरियाणा बॉर्डर के लगभग गांवों में जमीन का पानी खत्म हो चुका है**
- **हरियाणा के लोग राजस्थान की इस लाचारी का जमकर फायदा उठा रहे हैं और कई गांवों में पर्सनल पाइप लाइन डाल दी है**
- **पानी की किल्लत से सबसे ज्यादा झुंझुनूं जिले के बुहाना तहसील के पथाना, चूड़ीना, भालोठ, काकड़ा, गूंति, श्योपुरा गांवों में हैं**

गांव-गांव डाली हरियाणा से पाइप लाइन :-ग्रामीणों ने मानना कि जब तक नहर का पानी उनके गांव तक नहीं पहुंचेगा, तब तक जीवन जीना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के लोगों ने पहले तो पाइप लाइन से पीने के पानी का धंधा शुरू किया। हमें भी पानी लेने की जरूरत थी, लेकिन अब उनकी नजर हमारे खेतों पर भी पड़ गई है। कई लोगों ने अपने खेत हरियाणा के लोगों को किराए पर दे दिए हैं। हरियाणा के लोग अपनी हरियाणा की जमीन में खुदे ट्यूबवैलों से उनके खेतों तक पानी लाकर फसल करते हैं। एक फिक्स पैदावार खेत मालिक को देकर उनके खेतों तक को एक तरह से किराए पर ले लिया है। जिन लोगों ने खेत किराए पर नहीं दिए है, वे बारिश के पानी पर निर्भर है। यदि बारिश अच्छी हो जाती तो खेतों में थोड़ी बहुत फसल हो जाती है। बारिश नहीं हुई तो खेत भी सूखे रह जाते हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि इस पानी की किल्लत से सबसे ज्यादा झुंझुनूं जिले के बुहाना तहसील के गांव प्रभावित है। इनमें पथाना, चूड़ीना, भालोठ, काकड़ा, गूंति, श्योपुरा ऐसे गांव है, जहां पर जमीन में बिल्कुल पानी नहीं है। ये सभी गांव हरियाणा बॉर्डर पर ही है। अब इन गांवों को पानी पिलाने के लिए हरियाणा के महरमपुर, चिंडालिया, खेड़की, दुलोठ और गोदबलाहा जैसे गांवों पर निर्भर होना पड़ता है। कुछ लोगों ने तो पानी की समस्या को बिजनेस बना लिया है। राजस्थान के भी कुछ लोगों ने हरियाणा में जमीन खरीदकर वहां पर ट्यूबवैल खोद लिए और पाइपलाइन से गांवों में पीने के पानी की सप्लाई कर रहे हैं। वो भी मनमर्जी के दामों पर और मनमर्जी जितना।

1000 लोग पानी के लिए हरियाणा के भरोसे :-एक अनुमान के मुताबिक शिवपुरा गांव में करीब 165 मकान हैं, जहां पर 1000 लोगों के करीब की आबादी है। यहां पर राजस्थान विभाग के पीएचईडी विभाग ने आठ टंकियां तो बना रखी है, लेकिन इनमें एक टंकी में ही पानी के लिए सरकारी ट्यूबवैल बना हुआ है। पर इस ट्यूबवैल की भी हालत यह है कि इससे एक टंकी की पानी आपूर्ति भी पूरी नहीं होती। इसलिए गांव के लोगों ने हरियाणा के खेड़की सहित अन्य पास लगते गांवों से पानी की सप्लाई लेते हैं, जिससे सिर्फ पानी पीने के लिए आपूर्ति हो पाता है। गांव में पशुओं के लिए खेळ बनी हुई है। वो भी सूखी हैं। घरों में भी पानी का उपयोग हिसाब लगाकर करना पड़ता है। इसी तरह चूड़ीना गांव के लोग भी हरियाणा से करीब 10 किमी पाइप लाइन बिछाकर हरियाणा के किसानों से पानी लाकर अपने गांव में बनाई डिग्गी में स्टोर कर उसका उपयोग करते हैं और खेती कर रहे हैं।

राशिफल शुक्रवार 25 अप्रैल, 2025

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रात: 8:54 तक, ऐन्द्रयन योग दिन 12:31 तक, तैतिल करण दिन 11:45 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मीन, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज राजयोग प्रात: 8:54 से दिन 11:45 तक है। आज प्रदोष व्रत, पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:34 तक, लाभ अमृत 7:34 से 10:48 तक, शुभ 12:25 से 2:02 तक, चर 5:15 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:58, सूर्यास्त 6:52

मेष

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आपसी वाद-विवाद हो सकते हैं। समय अनर्गल कार्यों में खराब होगा।

सिंह

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

धनु

घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

वृष

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। पारिवारिक कार्यों से संबंधित यरात्रा संभव है।

कन्या

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

तुला

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी।

कुंभ

परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मीन

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।